न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

(1) मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 64 / अपील / 2023 (GCMS No. 2023 / 230)	18.12.2023	21.05.2024

सत्यनारायण पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार,
निवासी बीबनवां रोड दारू गोदाम के पास बून्दी,

– अपीलांट

बनाम

1. हीरालाल आ. गोबरीलाल जाति कुम्हार, निवासी बीबनवा रोड बून्दी हाल निवासी शक्ति भवन के पीछे, कल्याण मीणा का मकान, बिबनवा रोड, बून्दी
2. श्रीमती लक्कू बाई पत्नी हीरालाल जाति कुम्हार,नि.बीबनवा रोड बूंदी निवासी शक्ति भवन के पीछे, कल्याण मीणा का मकान, बिबनवा रोड, बून्दी

– रेस्पोडेन्टस

एवं

(2) मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 67 / अपील / 2023 (GCMS No. 2023 / 233)	26.12.2023	21.05.2024

सीताराम पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार,
निवासी भीलों का बरडा, बीबनवा रोड, बून्दी

– अपीलांट

बनाम

1. हीरालाल आ. गोबरीलाल जाति कुम्हार, निवासी बीबनवा रोड बून्दी हाल निवासी शक्ति भवन के पीछे, कल्याण मीणा का मकान, बिबनवा रोड, बून्दी
2. श्रीमती लक्कू बाई पत्नी हीरालाल जाति कुम्हार,नि.बीबनवा रोड बूंदी निवासी शक्ति भवन के पीछे, कल्याण मीणा का मकान, बिबनवा रोड, बून्दी

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 16(1) विरूद्ध आदेश प्रार्थना पत्र धारा 5(1)(क) व (ख) माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

उपस्थित–

अपीलान्ट सं.1 की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
अपीलान्ट सं.2 की ओर से श्री श्यामदत्त दाधीच, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री शंभूदयाल शर्मा, एडवोकेट।

:: निर्णय ::

यह अपील अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 2/2022 बउनवान हीरालाल वगै. बनाम सीताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 से अप्रसन्न होकर माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत इस न्यायालय में पेश की गयी है।

अपीलें प्रस्तुत होने पर क्रमांक 64/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2023/230 एवं क्रमांक 67/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2023/233 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। उक्त दोनों अपीलें रेस्पो.सं.1 व 2 के विरूद्ध एकही आदेश दिनांक 15.11.2022 एवं समान विषयवस्तु पर आधारित होने से एक ही निर्णय से निर्णीत की जा रही है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावे।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पो. द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5(1)क व ख माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम,2007 उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा दिनांक 15.11.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि प्रार्थीगण को भरण पोषण के लिये हर एक बेटा 2000/– रूपये प्रतिमाह और किसी एक प्रार्थी के निधन हो जाने के उपरान्त 1000/– रूपये प्रतिमाह प्रत्येक बेटा इनके खाते में दिनांक 01 से 05 तक हर माह जमा करवाने के लिये पाबन्द होंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि रेस्पो. ने अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के ग्राम बोरखेडा की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति शामलाती बाप दादाओं की कृषि भूमि को बिना अपने पुत्रों की सहमति से विक्रय पत्र में 8,00,000/– रूपये प्रतिफल दर्शाकर वास्तविक राशि 60,00,000/– रूपये के प्रतिफल में सुरेश आ. बिरधीलाल जाति कुमावत

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * बून्दी (राज.) *

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

निवासी अशोक नगर, तहसील हिण्डोली को बेचान कर सम्पूर्ण रकम पिताजी रेस्पो.सं.1 द्वारा स्वयं प्राप्त की गई है, उक्त रकम को बैंकों में रखकर रेस्पो. उसका ब्याज प्राप्त कर रहे है। रेस्पो. अपना स्वयं का भरण पोषण करने हेतु पूर्ण रूप से साधन सम्पन्न व्यक्ति है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. के बैंक के खातों को तलब कर उनकी जांच भी नहीं की गई। उक्त रकम का उपयोग व उपभोग रेस्पो. व उनके अन्य पुत्र कर रहे है, जबकि अपीलांट सत्यनारायण व सीताराम को कोई भी रकम उक्त जमीन के बेचान पेटे नहीं दी गई। इस कारण से अपीलांट सत्यनारायण व शंभूलाल द्वारा दायर उक्त जमीन की रजिस्ट्री को निरस्त करवाने का वाद संख्या 41/2020 माननीय एडीजे कम सं.1 बून्दी में लम्बित चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि रेस्पो. मिट्टी के बने हुये बर्तनों का व्यवसाय करते है, जिससे उनको 7000–8000 रूपये प्रतिमाह आमद होती है। इसके अलावा दोनों रेस्पो. को 1000–1000 रूपये वृद्धावस्था पेंशन कुल 2000/– प्रतिमाह मिलती है एव बी.पी.एल.परिवार से संबंधित होने के कारण समस्त सुविधायें राज्य सरकार से प्राप्त कर रहे है इस प्रकार प्रार्थीगण अपना भरण पोषण करने में स्वयं सक्षम है जबकि अपीलांट सं.1 चाय का ठेला लगाकर अपना व अपने परिवार जिसमें तीन पुत्रियों, एक पुत्र व पत्नी का भरण पोषण जैसे तैसे कर रहा है। उक्त व्यवसाय से अपीलांट को 5000/– रूपये मासिक से अधिक की आय प्राप्त नहीं हो पाती है। अपीलांटस अपने माता पिता की सेवा सुश्रुषा करना चाहते है किन्तु वे अपीलांटस के पास नहीं रहना चाहते अपितु अन्य पुत्रों के बहकावें में आकर अपीलांटस को परेशान करने की गरज से यह कार्यवाही पेश की गई है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2022 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो. ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि रेस्पो. 75–80 वर्ष के वृद्ध, असहाय निःशक्त एवं वरिष्ठ नागरिक है। रेस्पो. ने युवावस्था में काफी मेहनत करके वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भूखण्ड संख्या 163, 164 वाके भीलों का बरडा बीबनवा रोड बून्दी में खरीदे थे, जिसमें रेस्पो. ने कमरों का निर्माण करवाया था, किन्तु रेस्पो. की उक्त सम्पत्ति में से सीताराम व शम्भुलाल ने जबरन कब्जा कर खुद रह रहे है तथा किरायेदार रखे हुये है तथा रेस्पो. को अपने घर से बेदखल कर दिया है। इसी तरह रेस्पो. ने अपनी निजी आय से खरीद कर दारू गोदाम के पास बीबनवा रोड बून्दी में बनाये गये मकान में भी प्रताप व सत्यनारायण निवास कर रहे है। इसी प्रकार ग्राम बोरखेडा में स्थित पैतृक कृषि व मकान बाडों को भी अपीलांटस सहित अन्य पुत्रों ने जबरन बेचान करवाकर सम्पूर्ण राशि चारो पुत्रों ने प्राप्त कर ली। अपने घरों से बेघर होकर रेस्पो. वर्तमान में किसी अन्य व्यक्ति के मकान में किराये से रह रहे है। रेस्पो. के पास न तो किराया चुकाने

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

के पैसे और न ही खाने पीने की कोई व्यवस्था है। रेस्पो. के पास अपना जीवन गुज़र बसर करने के लिए आय का कोई साधन नहीं होने से वे अपने पुत्रों पर पूर्णरूप से आश्रित है। रेस्पो. के भरण पोषण की व्यवस्था करने का अपीलांटस सहित उसके चारों पुत्रों का नैतिक कर्तव्य एवं कानूनी दायित्व है। एक पुत्र शंभूलाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी बून्दी के उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में पूर्व में अपील संख्या 03/2023 दायर की गई थी, जो आदेश दिनांक 04.07.2023 से खारिज हो चुकी है तथा उपखण्ड अधिकारी बून्दी का आदेश दिनांक 15.11.2022 बहाल रखा गया है। इसकी जानकारी होने के बावजूद भी अपीलांटस द्वारा रेस्पो. को नाजायज रूप से परेशान करने एवं उक्त आदेश की कियान्विति में अनावश्यक रूप से रूकावट पैदा करने की नीयत से विधि का दुरूयोग कर यह अपीलें पेश की गई है जो खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत होने से अपीलें अपीलांटस खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि रेस्पो. हीरालाल एवं लक्कू बाई द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5(1) के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बून्दी को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बाद सुनवाई उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2022 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उनके भरण पोषण हेतु अपीलांटस सहित अन्य पुत्रों को 2000/-रू. प्रतिमाह तथा रेस्पो. में से किसी एक का निधन जाने के उपरान्त 1000/-रू. प्रतिमाह रेस्पो. के बैंक खाते में दिनांक 1 से 5 तक जमा करवाये जाने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश से व्यतीत होकर अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपीलें पेश की गई। यहां अपीलांटस द्वारा आपत्ति पेश की गई है कि रेस्पो.द्वारा पैतृक कृषि भूमि बेचकर सम्पूर्ण राशि स्वयं ही प्राप्त कर ली गई, जिसके बैंक में जमा खाते से ब्याज प्राप्त करते है, साथ ही रेस्पो. को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तथा बीपीएल की अन्य सरकारी सुविधायें भी प्राप्त कर रहे है जिससे वे अपना भरण पोषण करने में स्वयं सक्षम है, जबकि अपीलांटस मेहनत मजदूरी करके अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे है। यहां रेस्पोडेन्टस का तर्क है कि उनके द्वारा अपनी निजी कमाई की आय से खरीदकर बनाये गये मकानों में से रेस्पो. को बेदखल करके अपीलांटस सहित अन्य पुत्र निवास करते है तथा रेस्पो. की कृषि भूमि बेचान की आय भी बटंवारा करके पुत्रों के पास ही रखी हुई है। इसके बावजूद माता पिता के भरण पोषण व सेवाशुश्रुषा के नैतिक कर्तव्य एवं कानूनी दायित्व से बचने के लिए अपीलांटस उक्त आदेश के विरूद्ध अपीले दायर कर रहे है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * बून्दी (राज.) *

जिला [illegible] बून्दी

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि रेस्पो. द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उनकी आयु 75–80 वर्ष होना अंकित किया है, ऐसे में वयोवृद्ध माता पिता के सरकारी वृद्धावस्था पेंशन से आजीविका चलाये जाने या उनके बैंक खाते में पैसा जमा होने संबंधी अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्क उचित नहीं है तथा अपीलांटस के अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है। अपीलांटस को रेस्पो.सं.1 व 2 के उनके माता पिता होना स्वीकार है, ऐसे में अपीलांटस सहित उनके चारों पुत्रों पर अपने वयोवृद्ध माता पिता के भरण पोषण का दायित्व है। दौरानें बहस अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिये जाने एवं वहां दस्तावेज पेश करने का समय नहीं दिये जाने की आपत्ति प्रकट की गई, किन्तु उपखण्ड अधिकारी बून्दी की मूल पत्रावली के अवलोकन से साफ जाहिर है कि अपीलांट सीताराम, अप्रार्थी प्रताप एवं शम्भुलाल प्रथम नियत पेशी दिनांक 28.07.2022 को ही वहां उपस्थित हो चुके थे, उसी दिन अप्रार्थी प्रताप द्वारा जवाब पेश किया गया, जबकि अप्रार्थी सत्यनारायण, सीताराम एवं शम्भुलाल द्वारा आगामी पेशी दिनांक 05.08.2022 को अपने–अपने जवाब मय दस्तावेज पेश किये गये। जिससे अपीलांटस की सुनवाई नहीं किये जाने के आरोप निराधार प्रमाणित होते है। रेस्पो.सं.1 व 2 के भरण पोषण हेतु उनके चारों पुत्रों को 2000/–रू. प्रतिमाह तथा रेस्पो. में से किसी एक का निधन जाने के उपरान्त 1000/–रू. प्रतिमाह उनके बैंक खाते में जमा करवाये जाने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15.11.2022 प्रदान किया गया, जो पूर्णतः विधिसम्मत है। बाद सुनवाई उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी गयी है, ऐसे में उक्त आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। यहां उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश दिनांक 15.11.2022 के विरूद्ध एक पुत्र शंभूलाल द्वारा पूर्व में दायर अपील संख्या 03/2023 बउनवान शंभूलाल बनाम हीरालाल वगै. आदेश दिनांक 04.07.2023 से खारिज हो चुकी है, जिसकी जानकारी होने बाबत अपीलांटस द्वारा इंकार नहीं किया गया। इसके बावजूद एक ही आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा एक वर्ष गुजर जाने के बाद पृथक पृथक अपीलें दायर की जा रही है जो न्यायोचित नहीं है। अतः हस्तगत दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों दृष्टिगत रखते हुये अपीलांटस की दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)